

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1070/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(84)-2012
लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में क्रम संख्या 36 और 51 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
36	बन, रस्क, ब्रेड (पिज्जा ब्रेड को छोड़कर); आटा, मैदा, सूजी, बेसन; गुड़, भेली तथा खाने योग्य श्रेणी का राब गुड़; खाण्डसारी; दलिया; बीहाईब; केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित चीनी।
51	लकड़ी के खिलौने, पाशवा सहित लाख एवं शैलाक, मुलम्मा, बटन लाक एवं कीरी, स्पोर्ट्स गुड्स जिसमें अपैरेल्स, स्पोर्ट्स फुटवियर, फिजिकल एक्सरसाईजर और फिटनेस इक्विपमेंट्स सम्मिलित नहीं हैं; स्टाप क्लॉक।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में:-

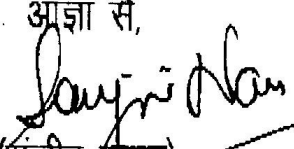
(एक) भाग-क में, क्रम संख्या 41, 53 और 92 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
41	ड्रग्स एवं मेडीसिन जिसमें मेडीकेटेड सोप, शैम्पू, एन्टी सेप्टिक कीम, फेस कीम, मसाज कीम, आई जेल एवं हेयर आयल सम्मिलित नहीं हैं किन्तु जिसमें टीका सिरिन्जेज एवं इंसिंस, औषधीय लेप, आई0पी0 स्तर का हल्का लिक्विड पैराफिन सम्मिलित है; चूरन; होम्योपैथी में चिकित्सीय उपयोग हेतु शुगर पिल्स; ह्यूमन ब्लड कम्पानेन्ट्स; सी0ए0पी0डी0 पलूड साइक्लोस्पोरीन।
53	ग्लूकोज, शहद।

92	सभी प्रकार का कागज (जिसमें समाचार पत्र प्रकाशकों से भिन्न व्यक्ति को न्यूज प्रिंट की बिक्री सम्मिलित है) एवं गम टेप, चाहे इनका प्रयोग लिखने, छापने, नकल उतारने, पैकिंग अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाये परन्तु इसमें सैलोफेन, मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड एवं ग्रे बोर्ड सम्मिलित नहीं है; धातु की जाली, कांटेदार तार व लकड़ी के चम्मच, कैंश बाक्स।
----	--

(दो) भाग-ग में, क्रम संख्या 207 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
207	बुडन क्रेट्स, टी चेस्ट्स

आज्ञा से,

 (संजीव कुमार)
 प्रमुख सचिव।